



2026:AHC:31209

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 5600/2026

राजकुमार

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 5 अन्य

.....प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: मुन्ना तिवारी, संदीप कुमार सिंह

प्रतिवादी के अधिवक्ता: सी.एस.सी. (मुख्य स्थायी अधिवक्ता), सुधीर भारती

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

1. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. यहाँ प्रस्तावित आदेश के आलोक में, प्रतिवादी/प्रतिवादियों को नोटिस जारी करने और इस याचिका को इस न्यायालय के समक्ष लंबित रखने का कोई उपयोगी उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा। हालांकि, यदि प्रतिवादी/प्रतिवादी इस आदेश से व्यथित महसूस करते हैं, तो आदेश में संशोधन/परिवर्तन की मांग करने का उनका अधिकार सुरक्षित रखा जा रहा है।
3. वर्तमान याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई मुख्य राहत यह है कि प्रतिवादी संख्या-2-अपर आयुक्त, प्रशासन-प्रथम, मंडल गोरखपुर, गोरखपुर को निर्देश दिया जाए कि वे केस संख्या 146/2004-2005 (कंप्यूटरीकृत केस संख्या सी2004050000836) को शीघ्रता से तय करें।
4. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि यद्यपि काफी समय बीत चुका है, परंतु आज तक इस मामले में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



5. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, वर्तमान याचिका को इस निर्देश के साथ निस्तारित किया जाता है कि संबंधित न्यायालय उपरोक्त केस को कानून के अनुसार अत्यंत शीघ्रता से और अधिमानतः **चार महीने** की अवधि के भीतर तय करे, तथा जब तक कोई कानूनी बाधा न हो, अनावश्यक स्थगन प्रदान न किया जाए।

(प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति)

11 फरवरी, 2026

प्रमोद त्रिपाठी